कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।
वन भवन, चतरा– 825401 (झारखण्ड)
Ph. & Fax (o) - 06541- 222303
E-mail: dfochatrasouth@gmail.com

पत्रांक                दिनांक

सेवा में

श्री अजय कांत झा,
वरीय प्रबंधक,
ट्रांसमिशन प्रमंडल,
JUSNL, हजारीबाग।

विषयः– चतरा जिला अन्तर्गत ईटखोरी से चतरा तक 132 KV ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 55.217 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत 53.679 हे0 एवं चतरा उतरी वन प्रमंडल अंतर्गत 1.538 हे0 ) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 494 दिनांक 03.12.2020

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्र द्वारा विषयगत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु संशोधित प्रस्ताव समर्पित किया गया है। समर्पित संशोधित प्रस्ताव की जाँच भारत सरकार द्वारा निर्गत चेक लिस्ट के द्वारा की गई। जाँचोपरांत प्रस्ताव में कतिपय त्रुटियाँ एवं आवश्यक अभिलेख संलग्न नहीं पाया गया है जो निम्नवत् है–

1. पार्ट– 1 की कंडिका A-I(iii) में विषयगत परियोजना हेतु वनभूमि लेने का क्या औचित्य है इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
2. प्रस्ताव में संलग्न सभी पृष्ठों पर नंबरिंग पीछे से करना है ताकि प्रस्ताव में कुछ अभिलेख अगर संलग्न की जाती है तो उस पर भी नंबर अंकित किया जा सकें।
3. Part-1 की कंडिका B-I में Proposal Submitted in past में मात्र डाढ़ा सब स्टेशन ग्रिड पावर निर्माण का उल्लेख है, जबकि कई प्रस्ताव पर भारत सरकार के स्तर से प्रथम एवं द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त है। उन सभी प्रस्तावों को इस कॉलम में अंकित करना अनिवार्य है।
4. Part-1 की कंडिका B 2.3 में Village wise breakup में प्रारंभ मौजा से अंतिम मौजा क्रमवार अंकित नहीं है, इसे अंकित किया जाय।
5. Part-1 की कंडिका B 2.3 Component wise breakup में टावर निर्माण हेतु रकबा 0.339 हे0 अंकित है जो नंबर ऑफ टावर के अनुसार दिखाये गये रकबा से कम है, इसमें सुधार की आवश्यकता है।
6. पार्ट–1 की कंडिका C(iii)(b) में Number of segment : One अंकित है जबकि उक्त ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में कई पैच है। सभी को पैचवार रकबा के साथ Segment अंकित करना अनिवार्य है।
7. विषयगत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में वन्यप्राणी आश्रयणी/ESZ/टाईगर प्रोजेक्ट भाग है या नहीं के संबंध में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।
8. विषयगत परियोजना में प्रभावित भूमि में Archaeological improtance से संबंधित Structure है या नहीं इस संबंध में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।
9. भारत/राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य शर्त्त लगाये जाते है तो मान्य होगा के संबंध में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।
10. विषयगत परियोजना में प्रभावित वृक्षों में से कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा के संबंध में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।

अतः प्रस्ताव की सभी मूल प्रतियाँ एवं ऑनलाईन प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुये अनुरोध है कि उल्लेखित बिन्दुओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय में समर्पित करें ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकें।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।



Scanned with CamScanner

ज्ञापांक :– 846 दिनांक :– 12/03/2021

**प्रतिलिपि** – प्रधान मुख्य वन संरक्षक –सह– कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

O/c

12/03/2021

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

12/3/2021

CS Scanned with CamScanner